

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-388

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

भार प्रेषण नियंत्रण नेटवर्क

*388. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पूरे देश में भार प्रेषण केन्द्रों/नेटवर्कों को चलाने/प्रचालित करने के लिए योग्यताप्राप्त/प्रशिक्षित कार्मिकों को सम्मिलित करने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भार प्रेषण केन्द्रों की आयोजना तथा प्रभावी प्रचालन में प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है जिसमें क्षतिपूर्ति के लिए अधिक परिव्यय का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या राज्य अत्यधिक क्षमता निर्माण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे वित्तीय भार बढ़ता है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार का अंतःराज्यीय पारेषण क्षमता के विकास/निर्माण का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"भार प्रेषण नियंत्रण नेटवर्क" के बारे में लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 388 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : देश भर में भार प्रेषण केंद्र (एलडीसी) योग्य एवं प्रशिक्षित जनशक्ति द्वारा प्रचालित किए जाते हैं। अप्रैल, 2011 से, एलडीसी के इन प्रचालकों का प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। सिस्टम प्रचालकों के प्रमाणीकरण बुनियादी एवं विशेषज्ञ स्तर के हैं।

(ग) : एलडीसी के कामकाज की उच्च विशेषज्ञ एवं तकनीकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2008 में "सिस्टम प्रचालन और रिंग फेंसिंग भार प्रेषण केंद्रों के लिए जनशक्ति, प्रमाणीकरण एवं प्रोत्साहन" पर एक समिति गठित की जिसने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभाओं को आकर्षित करने एवं उन्हें बनाए रखने के लिए उपयुक्त पुरस्कार संरचना की सिफारिश की। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों में भी आरएलडीसी और एनएलडीसी के प्रमाणित सिस्टम प्रचालकों के लिए प्रमाणीकरण की संबंधित प्रोत्साहन का प्रावधान है। एसएलडीसी स्तर पर भी समरूप संरचना एवं प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है।

(घ) : केंद्र और राज्यों द्वारा पारेषण आयोजना के दौरान, विश्वसनीयता, सुरक्षा और अतिरेक की तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित की जाती है। एन-1 मानक का अनुपालन किया जाता है जो संभावित विद्युत अवरोधों और/या सिस्टम की खराबी से बचे रहते हुए अतिरेक का समाधान करने के लिए पारेषण नेटवर्क में न्यूनतम सिस्टम सुरक्षा उपाय है।

अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना उत्पादन योजना और दीर्घकालिक विद्युत अंतरण मांगों के आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ परामर्श करके केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी

(सीटीयू) द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद इस पारेषण प्रणाली पर स्थायी समिति और क्षेत्रीय विद्युत समिति की बैठकों में चर्चा की जाती है और राज्य यूटिलिटीयों सहित सभी पणधारकों के साथ परामर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है।

अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणालियों के लिए योजना संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) द्वारा बनाई जाती है। तथापि, उस अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली, जिनका अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (440 केवी और 220 केवी वोल्टेज स्तर) पर प्रभाव पड़ता है, पर चर्चा एवं अनुमोदन विद्युत-प्रणाली आयोजना संबंधी स्थायी समिति द्वारा बैठकों में किया जाता है। इसके अलावा, बहुपक्षीय निधियन अथवा भारत सरकार का निधियन/अनुदान प्राप्त करने वाली अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का अनुमोदन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ड) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटी का होता है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में अंतर्राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण की स्कीम अनुमोदित की हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

- (i) 1788 करोड़ रुपये की राशि से जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) में अलस्टेंग (श्रीनगर) से लेह (वाया द्रास, कारगिल, खलस्ती एवं लेह उप-स्टेशन तक) 220 केवी पारेषण प्रणाली।
- (ii) विद्युत मंत्रालय के बजट और विश्व बैंक द्वारा 50:50 के आधार पर 5111 करोड़ रुपये की राशि की उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी)।
- (iii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 4754 करोड़ रुपये की राशि की पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण की व्यापक स्कीम।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-396

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

अधिशेष विद्युत का निर्यात

*396. श्री प्रहलाद जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विद्युत का अधिशेष उत्पादन करने वाला देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय अधिशेष विद्युत का अन्य देशों में निर्यात करने का विकल्प तलाश रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अधिशेष विद्युत का निर्यात" के बारे में लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 396 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : दिनांक 31.01.2018 की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता 334 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो चालू वर्ष (जनवरी, 2018 तक) के दौरान हुई 165 जीडब्ल्यू की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

चूंकि, देश में विद्युत संयंत्रों की अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता मांग से अधिक है इसलिए पड़ोसी देशों को विद्युत का निर्यात करने की संभावनाएं हैं।

(ग) और (घ) : भारत वर्तमान में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को विद्युत का निर्यात कर रहा है। विद्युत के निर्यात और इसे बढ़ाने के लिए योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- i. भारत-बांग्लादेश: भारत वर्तमान में बांग्लादेश को लगभग 660 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है और अतिरिक्त पारेषण लिंकों के पूरा होने के पश्चात् यह बढ़कर 840 मेगावाट हो जाएगी।
- ii. भारत-नेपाल: भारत वर्तमान में नेपाल को लगभग 465 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है और 400 केवी पर 132 केवी डी/सी ढलकेबार-मुजफ्फरपुर लाइन के प्रचालन के साथ यह 310 मेगावाट से 410 मेगावाट और बढ़ जाएगी।
- iii. भारत-म्यांमार: भारत, मणिपुर (भारत) में मोरेह से म्यांमार में टोमू नगर को 11 केवी पारेषण लाइन के जरिए मणिपुर (भारत) से म्यांमार को लगभग 2-3 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4375

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

असम में विद्युत संकट

4375. श्री बदरुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सामान्य रूप से असम और विशिष्ट रूप से धुबरी जिला निम्न ग्रिड क्षमता के कारण विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धुबरी जिला एक समय व्यापार और वाणिज्य का एक सक्रिय केन्द्र था और विद्युत संकट के कारण यह आज अत्यधिक हाशिए पर है और अलग-थलग हो गया है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग और छोटे उद्यम बन्द हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार अधिक विद्युत उत्पादन करने के लिए कोई पहल करने पर विचार कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : असम राज्य ने चालू वर्ष (अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2018) के दौरान 3.5% और 4.2% की क्रमशः ऊर्जा और व्यस्ततम कमी का सामना किया। वर्तमान में, अंतरराज्य स्तर पर असम को विद्युत के आयात के लिए पारेषण संबंधी अड़चनें नहीं हैं। पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) 1,025 मेगावाट है। तथापि, असम के कुछ क्षेत्रों में अंतरराज्य पारेषण संबंधी कुछ अड़चनें हैं।

(ख) से (ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। धुबरी जिले सहित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सीपीएसयू के जरिए केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा उनसे विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। वर्तमान में, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से असम को 1,304 मेगावाट विद्युत आवंटित की गई है। 2016-17 के दौरान असम को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से सहायता उनकी 9,020 मिलियन यूनिट की कुल ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में 5,929 मिलियन यूनिट (65.7%) थी। ग्रिड में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है और राज्य अपनी मांग को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों से अथवा डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस (दीप) पोर्टल के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली रूट के जरिए विद्युत खरीद सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4377

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना

4377. श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2015 में राज्यों के स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों को अच्छी स्थिति में लाने की दृष्टि से शुरू की गई उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) ने विद्युत कंपनियों पर खराब प्रभाव डालना शुरू कर दिया है और यह नए कर्ज बढ़ाने का एक और माध्यम बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूडीएवाई के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना को अक्षरशः कार्यान्वित करने और विद्युत कंपनियों को इसका उपयोग कर्ज बढ़ाने के एक माध्यम के रूप में न करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा वसूले गए औसत राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 59 पैसा प्रति यूनिट से घटकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 41 पैसा प्रति यूनिट हो गया है।

(ग) और (घ) : उदय के कार्यान्वयन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डिस्कॉमों के ऋण की निगरानी शामिल है। उदय के अंतर्गत भागीदार राज्यों के कार्य निष्पादन की कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की गई है। समिति नियमित अंतराल पर भागीदार राज्यों के प्रचालनात्मक और वित्तीय प्रचालनों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, प्रभावी टर्नअराउण्ड के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा डिस्कॉमों की सहायता करने के लिए राज्य विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठकें भी आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, समीक्षा, आयोजना एवं निगरानी बैठकों (आरपीएम) में भी इस योजना की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4380

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग का आकलन

4380. श्री के.आर.पी. प्रबाकरन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए विद्युत की मांग का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है;
- (ग) क्या निधियों की कमी के कारण विद्युत परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और
- (घ) भविष्य में मांग में होने वाली बढ़ोतरी को पूरा करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : 19वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय आधार पर विद्युत ऊर्जा मांग तथा व्यस्ततम विद्युत मांग 3,33,550 मेगावाट की पहले से ही संस्थापित क्षमता की तुलना में क्रमशः लगभग 15,66,023 मिलियन यूनिट और 2,25,751 मेगावाट होने की संभावना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्य है और कोई भी उत्पादन कंपनी उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है। उत्पादन परियोजना (परियोजनाएं) स्थापित करने के लिए निधियों की व्यवस्था परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं की जाती है।

विद्युत मांग को पूरा करने के लिए, परंपरागत क्षमता, जिसमें शामिल 48,261 मेगावाट थर्मल, 6,823 मेगावाट हाइड्रो तथा 3,300 मेगावाट न्यूक्लियर निर्माण के विभिन्न चरणों में है और इनसे 2017-2022 की अवधि के दौरान उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2021-22

तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 175 जीडब्ल्यू संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संभावित उत्पादन क्षमता संवर्धन से 19वें ईपीएस द्वारा प्रक्षेपित विद्युत मांग अखिल भारतीय आधार पर पूर्णतः पूरी होगी।

(घ) : मांग में भावी वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदम नीचे दिए गए हैं:

- (i) भारत सरकार उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है।
- (ii) सरकार प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के द्वारा गाँवों के विद्युतीकरण तथा सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराने में भी सहायता कर रही है।
- (iii) घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार करने के लिए केंद्रीय/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।
- (iv) सरकार ने ऐसे विद्युत संयंत्रों को, जिनके पास कोई लिंकेज नहीं है, कोयला लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए शक्ति योजना (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एण्ड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया), 2017 की शुरुआत की है।
- (v) सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने की शुरुआत की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4388

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

सौभाग्य योजना

4388. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौभाग्य योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना हेतु सम्पूर्ण परिव्यय कितना है और ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए परिव्यय कितना है;

(ग) क्या यह योजना देश को वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से सितंबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य आरंभ की है। सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10,587.50 करोड़ रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,732.50 करोड़ रुपये है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- i) अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन देना।
- ii) सुदुर और गैर-पहुँच वाले गाँवों/वासस्थलों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों, जहाँ ग्रिड विस्तार न तो व्यवहार्य है और न ही किफायती है, के लिए स्टैंड अलोन प्रणाली आधारित सोलर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) प्रदान करना।
- iii) अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब सभी शेष बचे गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन देना शहरी परिवार, जो गरीब नहीं हैं, को स्कीम से बाहर रखा गया है।

(ग) और (घ) : सौभाग्य स्कीम में सुदुर और गैर-पहुँच वाले गाँवों/वासस्थलों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों, जहाँ ग्रिड विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है, के लिए स्टैंड अलोन प्रणाली आधारित सोलर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) का प्रावधान है। इन गाँवों के लिए सौर ऊर्जा/विद्युत के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। इस प्रकार वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देश की सहायता करेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4400

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष राजसहायता

4400. श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य सरकारों द्वारा दी गई राजसहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं हेतु प्रत्यक्ष राजसहायता संबंधी अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल की संरचना क्या है;
- (घ) क्या पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल द्वारा क्या मुख्य सिफारिशों की गई हैं; और
- (च) पैनल की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए वितरण यूटिलिटीयों द्वारा बुक की गई कुल सब्सिडी तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई सब्सिडी नीचे दी गई है:

(रुपये करोड़ में)

| | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| बुक की गई कुल सब्सिडी | 37,052 | 47,965 | 57,680 |
| प्राप्त की गई सब्सिडी | 36,758 | 45,584 | 55,283 |

बुक की गई सब्सिडी तथा प्राप्त की गई सब्सिडी का राज्य-वार और यूटिलिटी-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (च) : विद्युत उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देने का अध्ययन करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई विशेषज्ञ पैनल गठित नहीं किया गया है।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4400 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2013-14 से 2015-16 के दौरान यूटिलिटियों द्वारा बुक की गई और प्राप्त की गई सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा

| क्षेत्र | राज्य | यूटिलिटी | 2013-14 | | 2014-15 | | 2015-16 | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | बुक की गई सब्सिडी | प्राप्त की गई सब्सिडी | बुक की गई सब्सिडी | प्राप्त की गई सब्सिडी | बुक की गई सब्सिडी | प्राप्त की गई सब्सिडी |
| पूर्वी | बिहार | एनबीपीडीसीएल | 1,025 | 1,025 | 1,217 | 1,023 | 1,579 | 1,579 |
| | | एसबीपीडीसीएल | 1,631 | 1,631 | 1,675 | 1,675 | 2,811 | 2,811 |
| | बिहार कुल | | 2,656 | 2,656 | 2,892 | 2,698 | 4,390 | 4,390 |
| | झारखंड | जेएसईबी | 967 | 967 | | | | |
| | | जेबीवीएनएल | 533 | 533 | 2,107 | 2,107 | 1,600 | 1,600 |
| | झारखंड कुल | | 1,500 | 1,500 | 2,107 | 2,107 | 1,600 | 1,600 |
| | ओडिशा | सेस् | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | नेसको | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | सेसको | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | वेसको | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | नेसको यूटिलिटी | | | | | 0 | 0 |
| | | सेसको यूटिलिटी | | | | | 0 | 0 |
| | | वेसको यूटिलिटी | | | | | 0 | 0 |
| | ओडिशा कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सिक्किम | सिक्किम पीडी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | सिक्किम कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पश्चिम बंगाल | डब्ल्यूबीएसईडीसीएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पश्चिम बंगाल कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पूर्वी कुल | | | 4,156 | 4,156 | 4,999 | 4,804 | 5,990 | 5,990 |
| पूर्वोत्तर | अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल पीडी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अरुणाचल प्रदेश कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | असम | एपीडीसीएल | 165 | 0 | 269 | 269 | 335 | 245 |
| | असम कुल | | 165 | 0 | 269 | 269 | 335 | 245 |
| | मणिपुर | मणिपुर पीडी | 0 | 0 | | | | |
| | | एमएसपीडीसीएल | | | 0 | 0 | 216 | 216 |
| | मणिपुर कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| | मेघालय | एमईपीडीसीएल | 15 | 15 | 110 | 110 | 24 | 24 |
| | मेघालय कुल | | 15 | 15 | 110 | 110 | 24 | 24 |
| | मिजोरम | मिजोरम पीडी | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| | मिजोरम कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| | नागालैंड | नागालैंड पीडी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | नागालैंड कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | त्रिपुरा | टीएसईसीएल | 40 | 40 | 62 | 40 | 69 | 40 |
| | त्रिपुरा कुल | | 40 | 40 | 62 | 40 | 69 | 40 |
| पूर्वोत्तर कुल | | | 220 | 55 | 441 | 419 | 785 | 666 |
| उत्तरी | दिल्ली | बीएसईएस राजधानी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | बीएसईएस यमुना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | टीपीडीएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | दिल्ली कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हरियाणा | डीएचबीवीएनएल | 1,460 | 1,460 | 2,098 | 2,098 | 2,529 | 2,529 |
| यूएचबीवीएनएल | | 3,520 | 3,520 | 3,137 | 3,137 | 3,794 | 3,794 | |
| | हरियाणा कुल | | 4,981 | 4,981 | 5,235 | 5,235 | 6,323 | 6,323 |
| | हिमाचल प्रदेश | एचपीएसईबी लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | हिमाचल प्रदेश कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | जम्मू एवं कश्मीर | जेएण्डके पीडीडी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | जम्मू एवं कश्मीर कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पंजाब | पीएसपीसीएल | 4,696 | 4,696 | 5,875 | 4,642 | 5,761 | 4,847 |
| | पंजाब कुल | | 4,696 | 4,696 | 5,875 | 4,642 | 5,761 | 4,847 |
| | राजस्थान | एवीवीएनएल | 579 | 579 | 578 | 578 | 557 | 557 |
| | | जेडीवीवीएनएल | 375 | 375 | 466 | 466 | 472 | 472 |
| | | जेवीवीएनएल | 651 | 651 | 816 | 816 | 755 | 755 |
| | राजस्थान कुल | | 1,604 | 1,604 | 1,859 | 1,859 | 1,784 | 1,784 |
| | उत्तर प्रदेश | डीवीवीएन | 918 | 918 | 2,578 | 2,578 | 2,884 | 2,757 |
| | | केईएससीओ | 0 | 0 | 122 | 122 | 6 | 6 |
| | | एमवीवीएन | 818 | 818 | 1,398 | 1,217 | 1,593 | 1,593 |
| | | पश्च वीवीएन | 1,547 | 1,547 | 1,848 | 1,702 | 1,241 | 1,173 |
| | | पूर्व वीवीएन | 1,891 | 1,891 | 2,948 | 2,948 | 3,001 | 3,001 |
| | उत्तर प्रदेश कुल | | 5,174 | 5,174 | 8,893 | 8,568 | 8,724 | 8,530 |
| | उत्तराखण्ड | उत् पीसीएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | उत्तराखण्ड कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तरी कुल | | | 16,455 | 16,455 | 21,862 | 20,304 | 22,593 | 21,484 |
| दक्षिणी | आंध्र प्रदेश | एपीसीपीडीसीएल | 1,627 | 1,627 | | | | |
| | | एपीईपीडीसीएल | 255 | 255 | 875 | 875 | 868 | 868 |
| | | एपीएनपीडीसीएल | 2,555 | 2,555 | | | | |
| | | एपीएसपीडीसीएल | 1,868 | 1,868 | 2,250 | 2,097 | 2,318 | 2,318 |
| | आंध्र प्रदेश कुल | | 6,306 | 6,306 | 3,125 | 2,973 | 3,186 | 3,186 |
| | कर्नाटक | बीईएससीओएम | 534 | 534 | 0 | 0 | 1,616 | 1,554 |
| | | सीएचईएससीओएम | 879 | 823 | 958 | 954 | 1,042 | 1,042 |
| | | जीईएससीओएम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | एचईएससीओएम | 212 | 212 | 80 | 80 | 3,076 | 2,307 |
| | | एमईएससीओएम | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 470 |
| | कर्नाटक कुल | | 1,626 | 1,570 | 1,038 | 1,035 | 6,245 | 5,372 |
| | केरल | केएसईबी | 0 | 0 | | | | |
| | | केएसईबीएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | केरल कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | पुडुचेरी | पुडुचेरी पीडी | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | पुडुचेरी कुल | | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | तमिलनाडु | टीएएनजीईडीसीओ | 4,985 | 4,918 | 6,953 | 6,953 | 7,695 | 7,695 |
| | तमिलनाडु कुल | | 4,985 | 4,918 | 6,953 | 6,953 | 7,695 | 7,695 |
| | तेलंगाना | टीएसएनपीडीसीएल | | | 2,399 | 2,000 | 3,533 | 3,239 |
| | | टीएसएसपीडीसीएल | | | 1,264 | 1,264 | 724 | 724 |
| | तेलंगाना कुल | | | | 3,663 | 3,264 | 4,257 | 3,963 |
| दक्षिणी कुल | | | 12,921 | 12,798 | 14,780 | 14,225 | 21,386 | 20,216 |
| पश्चिमी | छत्तीसगढ़ | सीएसपीडीसीएल | 0 | 0 | 465 | 465 | 407 | 407 |
| | छत्तीसगढ़ कुल | | 0 | 0 | 465 | 465 | 407 | 407 |
| | गोवा | गोवा पीडी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गोवा कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | गुजरात | डीजीवीसीएल | 44 | 44 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| | | एमजीवीसीएल | 67 | 67 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| | | पीजीवीसीएल | 438 | 438 | 439 | 439 | 441 | 441 |
| | | यूजीवीसीएल | 551 | 551 | 541 | 541 | 536 | 536 |
| | गुजरात कुल | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| | मध्य प्रदेश | एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल | 781 | 781 | 1,154 | 1,116 | 1,464 | 1,464 |
| | | एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल | 922 | 922 | 2,294 | 2,294 | 3,000 | 3,000 |
| | | एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल | 498 | 492 | 870 | 857 | 954 | 954 |
| | मध्य प्रदेश कुल | | 2,201 | 2,195 | 4,318 | 4,268 | 5,418 | 5,418 |
| | महाराष्ट्र | एमएसईडीसीएल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | महाराष्ट्र कुल | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिमी कुल | | | 3,301 | 3,295 | 5,883 | 5,833 | 6,925 | 6,925 |

स्रोत: सीईए

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4401

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों में दुर्घटनाएं

4401. श्रीमती कमला पाटले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न निर्माणाधीन/चालू विद्युत संयंत्रों में संयंत्र-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उक्त दुर्घटनाओं की प्रकृति क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त दुर्घटनाओं में संयंत्र-वार कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए हैं और उक्त दुर्घटनाओं से लगभग कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है;
- (ग) उक्त दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा और अन्य सुविधाएं दी गई हैं;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों के रख-रखाव पर कितना औसत वार्षिक व्यय किया गया है; और
- (ङ) भविष्य में उक्त दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न निर्माणाधीन/प्रचालनात्मक विद्युत संयंत्रों में हुई दुर्घटनाओं, इन दुर्घटनाओं के कारण मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या, संपत्ति की क्षति, भुगतान की गई क्षतिपूर्ति तथा घायल हुए और मारे गए व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं तथा उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों के रख-रखाव पर हुए औसत वार्षिक व्यय का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकारों के पास उनके अथवा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के नियंत्रणाधीन वैद्युत संस्थानों में उक्त सुरक्षा विनियमों को लागू करने के लिए उनके अपने वैद्युत निरीक्षणालय हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सुरक्षा विनियम नामतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत प्रदाय से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा तदंतर संशोधन नामतः केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत प्रदाय से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2015 बनाए हैं जो देश में सभी संस्थानों के लिए लागू हैं।

विद्युत संस्थानों में विद्युत दुर्घटनाएं होने पर समुचित सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक मामला-दर-मामला आधार पर जांच करते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाते हैं।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4401 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

| वर्ष | संगठन का नाम | प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्ति | संपत्ति की हानि (रुपए करोड़ में) | भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (रुपए करोड़ में) | | संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय (रुपए करोड़ में) |
|--|--|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|---|-------|---|
| | | | | | | मारे गए | घायल | |
| 2014-15 | नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) | बाढ़, बिहार | 4 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 111.16 |
| | | बदरपुर, दिल्ली | 1 | 2 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | रिहंद, उत्तर प्रदेश | 1 | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | कहलगांव, बिहार | 2 | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | सिम्हाद्री, आंध्र प्रदेश | 1 | 2 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | विंध्याचल, मध्य प्रदेश | 3 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | मौदा, महाराष्ट्र | 1 | 5 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | बाँगाईगांव, असम | 1 | 4 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | सोलापुर, महाराष्ट्र | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | कुडगी, कर्नाटक | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | सीपत, छत्तीसगढ़ | शून्य | 4 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | रामागुंडम, तेलंगाना | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | कोरबा, छत्तीसगढ़ | शून्य | 8 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | | फरक्का, पश्चिम बंगाल | शून्य | 9 | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | लारा, छत्तीसगढ़ | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) | धौलीगंगा पावर स्टेशन, उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 10.32 |
| | | दुलहस्ती पावर स्टेशन, उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 18.21 |
| | | सलाल पावर स्टेशन जम्मू व कश्मीर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 17.94 |
| | | उरी-II पावर स्टेशन जम्मू व कश्मीर | शून्य | शून्य | 62.5* | शून्य | शून्य | 2.7 |
| किशनगंगा एचई परियोजना, जम्मू व कश्मीर | | 1 | 1 | शून्य | 0.1 | शून्य | शून्य | |
| सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना, असम और अरुणाचल प्रदेश | | शून्य | 2 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |

| वर्ष | संगठन का नाम | प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्ति | संपत्ति की हानि (रुपए करोड़ में) | भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (रुपए करोड़ में) | | संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय (रुपए करोड़ में) | |
|---------|--|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------|
| | | | | | | मारे गए | घायल | | |
| 2014-15 | नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) | कामेंग एचईपी, अरुणाचल प्रदेश | 3 | शून्य | शून्य | 0.20 | शून्य | शून्य | |
| | | अगरतला गैस टरबाइन पावर प्लांट, त्रिपुरा | 1 | 2 | शून्य | 0.136 | नीपको डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | 10.07 | |
| | | पारे एचईपी, अरुणाचल प्रदेश | 1 | शून्य | शून्य | 0.057 | शून्य | शून्य | |
| | | असम गैस आधारित परियोजना, असम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 31.35 | |
| | | कोपिली एचईपी, असम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 9.57 | |
| | | दोयांग एचईपी, नागालैंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.39 | |
| | | रंगानदी एचईपी, अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 8.96 | |
| | दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)# | बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, झारखंड | शून्य | 8 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 51.27 |
| | | चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, झारखंड | शून्य | 6 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 97.56 |
| | | दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | शून्य | 9 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 40.66 |
| | | पांचे और तिलैया, झारखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 3.33 |
| | | मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | 1 | 11 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 145.99 |
| | | कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, झारखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 26.55 |
| | | दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | 2 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 54.19 |
| | | रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | 2 | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | मैथॉन हाइडल, झारखंड | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.51 | |
| | टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (टीएचडीसी) | टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट, प्रचालनाधीन) उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | टिहरी डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | 23.02 |
| | | कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट, प्रचालनाधीन), उत्तराखंड | शून्य | 7 | शून्य | शून्य | शून्य | कोटेश्वर डिस्पेंसरी में उपचार किया गया है। | |

| वर्ष | संगठन का नाम | प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्ति | संपत्ति की हानि (रुपए करोड़ में) | भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (रुपए करोड़ में) | | संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय (रुपए करोड़ में) |
|-----------------|--|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|--|--------|---|
| | | | | | | मारे गए | घायल | |
| 2014-15 | टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (टीएचडीसी) | टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट, निर्माणाधीन), उत्तराखंड | 1 | 12 | शून्य | 0.062 | शून्य | 0.02 (निर्माणाधीन परियोजनाएं) |
| | | विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट, निर्माणाधीन), उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | |
| | सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) | नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश | शून्य | 2 | शून्य | शून्य | 0.0074 | 34.26 |
| | | रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश | शून्य | 3 | शून्य | शून्य | 0.0077 | 5.8 |
| | भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) | भाखड़ा पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.5 |
| | | गंगुवाल और कोटला पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.463 |
| | | देहार पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 17.00 |
| | पोंग पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.99 | |
| 2015-16 | एनटीपीसी | बाढ़ (बिहार) | 3 | 2 | शून्य | एनटीपीसी के संबंध में दुर्घटना की स्थिति में मृत/घायल व्यक्तियों को प्रत्येक मामले में लागू फॉर्मूले के अनुसार, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जा जाता है। मृत के नामिती को मृत के शव को उनके मूल निवास स्थान ले जाने में सहायता दी जाती है। घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को बस्ती/समीपवर्ती अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। एनटीपीसी की कुछ इकाईयों में सांविधिक लाभों के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान करके नियोक्ता/कर्मचारियों द्वारा अनुग्रह राशि दी जाती है। | 138.81 | |
| | | कोरबा (छत्तीसगढ़) | 2 | 2 | शून्य | | | |
| | | टांडा (उत्तर प्रदेश) | 1 | शून्य | शून्य | | | |
| | | ऊंचाहार (उत्तर प्रदेश) | 2 | 1 | शून्य | | | |
| | | विंध्याचल (मध्य प्रदेश) | 3 | 1 | शून्य | | | |
| | | सिंगरौली (मध्य प्रदेश) | 1 | शून्य | शून्य | | | |
| | | कहलगांव (बिहार) | शून्य | 1 | शून्य | | | |
| | | दादरी (उत्तर प्रदेश) | शून्य | 2 | शून्य | | | |
| | | फरक्का (पश्चिम बंगाल) | शून्य | 7 | शून्य | | | |
| | | सोलापुर (महाराष्ट्र) | 1 | 1 | शून्य | | | |
| | | रामागुंडम (तेलंगाना) | शून्य | 3 | शून्य | | | |
| | | रिहंद (उत्तर प्रदेश) | शून्य | 2 | शून्य | | | |
| | | सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | |
| | | बोंगाईगांव (असम) | शून्य | 1 | शून्य | | | |
| | | मौदा (महाराष्ट्र) | 3 | 1 | शून्य | | | |
| | | कुडगी, कर्नाटक | 2 | शून्य | शून्य | | | |
| | | लारा, छत्तीसगढ़ | 2 | शून्य | शून्य | | | |
| सीपत, छत्तीसगढ़ | 1 | शून्य | शून्य | | | | | |

| वर्ष | संगठन का नाम | प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्ति | संपत्ति की हानि (रुपए करोड़ में) | भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (रुपए करोड़ में) | | संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय (रुपए करोड़ में) | |
|-------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| | | | | | | मारे गए | घायल | | |
| 2015-16 | टीएचडीसी | टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट, प्रचालनाधीन), उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | टिहरी डिस्पेंसरी में उपचार किया गया | 16.57 (प्रचालनात्मक संयंत्र) | |
| | | कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट, प्रचालनाधीन), उत्तराखंड | 1 | 5 | शून्य | 0.10 | कोटेश्वर डिस्पेंसरी में उपचार किया गया | | |
| | | टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट, निर्माणाधीन), उत्तराखंड | शून्य | 6 | शून्य | शून्य | शून्य | | 0.02 |
| | | विष्णुगड पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट, निर्माणाधीन), उत्तराखंड | 1 | शून्य | शून्य | 0.08 | शून्य | | (निर्माणाधीन परियोजनाएं) |
| | एसजेवीएनएल | नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | 0.0040 | 42.67. | |
| | | रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | 0.0010 | 12.61 | |
| | बीबीएमबी | भाखड़ा पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.29. | |
| | | गंगुवाल और कोटला पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.75. | |
| | | देहार पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 15.20 | |
| | | पोंग पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.56. | |
| 2016-17 | एनटीपीसी | फरक्का (पश्चिम बंगाल.) | 2 | 3 | शून्य | एनटीपीसी के संबंध में दुर्घटना की स्थिति में मृत/घायल व्यक्तियों को प्रत्येक मामले में लागू फॉर्मूले के अनुसार, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जा जाता है। मृत के नामिती को मृत के शव को उनके मूल निवास स्थान ले जाने में सहायता दी जाती है। घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को बस्ती/समीपवर्ती अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। एनटीपीसी की कुछ इकाइयों में सांविधिक लाभों के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान करके नियोक्ता/ कर्मचारियों द्वारा अनुग्रह राशि दी जाती है। | 161.94. | | |
| | | कहलगांव (बिहार) | 2 | 1 | शून्य | | | | |
| | | सिंगरौली (उत्तर प्रदेश) | 2 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | कोरबा (छत्तीसगढ़) | 1 | 1 | शून्य | | | | |
| | | रिहंद (उत्तर प्रदेश) | 2 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | सोलापुर (महाराष्ट्र) | 4 | 3 | शून्य | | | | |
| | | दालीपल्ली (ओडिशा) | 2 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | गदरवाड़ा (मध्य प्रदेश) | 4 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | बाढ़ (बिहार) | 1 | 6 | शून्य | | | | |
| | | बोंगाईगांव, असम | 1 | 2 | शून्य | | | | |
| | | लारा (छत्तीसगढ़) | 2 | 5 | शून्य | | | | |
| | | कुडगी (कर्नाटक) | 2 | 2 | शून्य | | | | |
| | | टांडा (उत्तर प्रदेश) | 1 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | औरैया (उत्तर प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | मौदा (महाराष्ट्र) | शून्य | 13 | शून्य | | | | |
| | | रत्नागिरी (महाराष्ट्र) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | टीएसटीपीएस (ओडिशा) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | विंध्याचल (मध्य प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | दादरी (उत्तर प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | कायमकुलम, केरल | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | ऊंचाहार (उत्तर प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| सीपत (छत्तीसगढ़) | शून्य | 2 | शून्य | | | | | | |
| तपोवन (उत्तराखंड) | शून्य | 1 | शून्य | | | | | | |

| वर्ष | संगठन का नाम | प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्ति | संपत्ति की हानि (रुपए करोड़ में) | भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (रुपए करोड़ में) | | संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय (रुपए करोड़ में) | |
|-----------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|----------------------------------|--|---|---|--------|
| | | | | | | मारे गए | घायल | | |
| 2016-17 | टीएचडीसी | टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट, प्रचालनाधीन), उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | टिहरी डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | 15.26 (प्रचालनात्मक संयंत्र) | |
| | | कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट, प्रचालनाधीन), उत्तराखंड | शून्य | 6 | शून्य | शून्य | कोटेश्वर डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | | |
| | | टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट, निर्माणाधीन), उत्तराखंड | शून्य | 4 | शून्य | शून्य | शून्य | 0.03 (निर्माणाधीन परियोजनाएं) | |
| | | विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट, निर्माणाधीन) उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | | |
| | एसजेवीएनएल | नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश | शून्य | 3 | शून्य | शून्य | शून्य | 0.00514 | 44.49. |
| | | रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | 0.00342 | 19.02 |
| | बीबीएमबी | भाखड़ा पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.95 |
| | | गंगुवाल और कोटला पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.57. |
| | | देहार पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.51 |
| | | पोंग पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.64 |
| 2017-18 | एनटीपीसी | बाढ़ (बिहार) | 1 | 2 | शून्य | एनटीपीसी के संबंध में दुर्घटना की स्थिति में मृत/घायल व्यक्तियों को प्रत्येक मामले में लागू फॉर्मूले के अनुसार, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जा जाता है। मृत के नामिती को मृत के शव को उनके मूल निवास स्थान ले जाने में सहायता दी जाती है। घायल होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को बस्ती/समीपवर्ती अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। एनटीपीसी की कुछ इकाईयों में सांविधिक लाभों के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान करके नियोक्ता/कर्मचारियों द्वारा अनुग्रह राशि दी जाती है। | 86.56 | | |
| | | मौदा (महाराष्ट्र) | 1 | 5 | शून्य | | | | |
| | | विंध्याचल (मध्य प्रदेश) | 1 | 5 | शून्य | | | | |
| | | फरक्का (पश्चिम बंगाल) | 1 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) | 2 | 1 | शून्य | | | | |
| | | औरैया (उत्तर प्रदेश) | 1 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | ऊंचाहार (उत्तर प्रदेश) | 45 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | दादरी (उत्तर प्रदेश) | 1 | 1 | शून्य | | | | |
| | | कुडगी (कर्नाटक) | 1 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | गदरवाड़ा (मध्य प्रदेश) | 1 | शून्य | शून्य | | | | |
| | | दार्लीपल्ली (ओडिशा) | 3 | 2 | शून्य | | | | |
| | | लारा (छत्तीसगढ़) | 1 | 3 | शून्य | | | | |
| | | खरगोन (मध्य प्रदेश) | 1 | 2 | शून्य | | | | |
| | | नॉर्थ करणपुरा (झारखंड) | 1 | 2 | शून्य | | | | |
| | | टांडा (उत्तर प्रदेश) | शून्य | 3 | शून्य | | | | |
| | | सोलापुर (महाराष्ट्र) | शून्य | 4 | शून्य | | | | |
| | | कोलडैम (हिमाचल प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | अनंतपुर एसपीवी (आंध्र प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | | |
| | | बोंगाईगांव (असम) | शून्य | 2 | शून्य | | | | |
| | | कोरबा (छत्तीसगढ़) | शून्य | 3 | शून्य | | | | |
| तालचर के (ओडिशा) | शून्य | 1 | शून्य | | | | | | |
| कहलगांव (मध्य प्रदेश) | शून्य | 1 | शून्य | | | | | | |

| वर्ष | संगठन का नाम | प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्ति | संपत्ति की हानि (रुपए करोड़ में) | भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (रुपए करोड़ में) | | संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय (रुपए करोड़ में) |
|---------|-------------------------|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | मारे गए | घायल | |
| 2017-18 | एनएचपीसी | उरी-II पावर स्टेशन, जम्मू व कश्मीर | 1 | शून्य | शून्य | कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त 8 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया। | | 4.82 |
| | | किशनगंगा एचई परियोजना, जम्मू व कश्मीर | 1 | 3 | शून्य | शून्य | | शून्य |
| | | सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना, असम और अरुणाचल प्रदेश | 1 | 4 | शून्य | शून्य | | शून्य |
| | | पारबती-II एचई परियोजना, हिमाचल प्रदेश | 2 | शून्य | शून्य | डब्ल्यूसी नीति के तहत 0.076 करोड़ रुपए और बीमे का दावा किया गया। | | शून्य |
| | नीपको | दोयांग एचईपी, नागालैंड, | 1 | शून्य | शून्य | 0.078 | शून्य | शून्य |
| | | कामेंग एचईपी, अरुणाचल प्रदेश | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | 0.04 | शून्य |
| | डीवीसी# | बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, झारखंड | शून्य | 6 | शून्य | शून्य | शून्य | 29.21 |
| | | चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, झारखंड | शून्य | 4 | शून्य | शून्य | शून्य | 45.02 |
| | | दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | शून्य | 3 | शून्य | शून्य | शून्य | 13.91 |
| | | मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 133.58 |
| | | पांचे व तिलैया, झारखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.25 |
| | | कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन झारखंड | शून्य | 3 | शून्य | शून्य | शून्य | 19.98 |
| | | दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | 36.24 |
| | | रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 16.81 |
| | | मैथॉन हाइडल, झारखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.92 |
| | टीएचडीसी (दिसं., 17 तक) | टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट, प्रचालनाधीन), उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | टिहरी डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | 9.29 (प्रचालनात्मक संयंत्र) |
| | | कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट, प्रचालनाधीन), उत्तराखंड | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | कोटेश्वर डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | |
| | | टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट, निर्माणाधीन) उत्तराखंड | शून्य | 4 | शून्य | शून्य | टिहरी डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | 0.04 (निर्माणाधीन परियोजनाएं) |
| | | विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी (444 मेगावाट, निर्माणाधीन), उत्तराखंड | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | पीपलकोटि डिस्पेंसरी में उपचार किया गया। | |

| वर्ष | संगठन का नाम | प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं. | घायल व्यक्ति | संपत्ति की हानि (रुपए करोड़ में) | भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (रुपए करोड़ में) | | संयंत्रों के रख-रखाव पर औसत वार्षिक व्यय (रुपए करोड़ में) |
|---------|------------------------|---|---------------------------|--------------|----------------------------------|---|--------|---|
| | | | | | | | | |
| 2017-18 | एसजेवीएनएल (अब तक) | नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश | शून्य | 4 | शून्य | शून्य | 0.0012 | 30.00 |
| | | रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 16.35 |
| | बीबीएमबी (दिसं.,17 तक) | भाखड़ा पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.56 |
| | | गंगुवाल और कोटला पावर प्लांट, पंजाब | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.40 |
| | | देहरा पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 7.51. |
| | | पोंग पावर प्लांट, हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.56 |

* उरी-II पावर स्टेशन में 2014-15 में पावर हाउस में आग लगने की दुर्घटना हुई थी। प्रारंभ में 95 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि का अनुमान लगाया गया था जिसका बीमा कंपनी से दावा किया गया था। तथापि, बहाली के दौरान 62.50 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

** चूटक पावर स्टेशन 2015-16 में पावर हाउस में अचानक पानी भरने के कारण पूर्णतः बंद कर दिया गया था। प्रारंभ में 7.93 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि का अनुमान लगाया गया था जिसका बीमा कंपनी से दावा किया गया था। तथापि, बहाली के दौरान 8.84 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

डीवीसी - लाभ कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा/और ईएसआई अधिनियम, 1948, जो भी लागू हो, के तहत दिए जाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4407

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी समूहों की वाणिज्यिक क्षमता

4407. श्रीमती के. मरगथम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड समूह की क्षमता कुडगी सुपर थर्मल परियोजना की इकाई-12 के वाणिज्य परिचालनों के प्रारंभ के साथ ही 51000 मेगावाट को पार कर जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनटीपीसी और एनटीपीसी समूह की वाणिज्य क्षमता इस विस्तार के साथ ही क्रमशः 44492 मेगावाट और 51383 मेगावाट तक पहुंच जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हाँ। एनटीपीसी लिमिटेड की क्षमता 44,500 मेगावाट और कर्नाटक की कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत के साथ इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों सहित कुल क्षमता 51,391 मेगावाट हो गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4421

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में एनटीपीसी इकाइयां

4421. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एनटीपीएस इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन इकाइयों में रिपोर्ट की गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों में बार-बार होने वाली समस्याओं की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जनजातीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एनटीपीसी की इकाइयों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : विगत 3 वर्षों के दौरान इन इकाइयों के प्रचालन में कोई प्रमुख समस्या नहीं हुई है।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4421 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जनजातीय क्षेत्र में स्थापित एनटीपीसी इकाइयां

क) एनटीपीसी स्वामित्व वाली ताप विद्युत परियोजनाएं

| क्रम सं. | राज्य (जिला) | परियोजना | ईंधन प्रकार | क्षमता (मेगावाट) |
|----------|-------------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. | छत्तीसगढ़ (कोरबा) | कोरबा | कोयला | 2600 |
| 2. | असम (कोकराझार) | बोंगाईगांव | कोयला | 500 (शेष 250 मेगावाट निर्माणाधीन) |

ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित एनटीपीसी इकाइयां

ख) एनटीपीसी स्वामित्व वाली ताप विद्युत परियोजनाएं

| क्रम सं. | राज्य (जिला) | परियोजना | ईंधन प्रकार | क्षमता (मेगावाट) |
|----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1. | आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टनम) | सिम्हाद्री | कोयला | 2000 |
| 2. | बिहार (भागलपुर) | कहलगांव | कोयला | 2340 |
| 3. | बिहार (पटना) | बाढ़ | कोयला | 1320 |
| 4. | छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) | सीपत | कोयला | 2980 |
| 5. | गुजरात (भरूच) | झनोर-गांधार | गैस | 657 |
| 6. | गुजरात (सूरत) | कवास | गैस | 656 |
| 7. | हरियाणा (फरीदाबाद) | फरीदाबाद | गैस | 432 |
| 8. | कर्नाटक (बीजापुर) | कुडगी | कोयला | 2400 |
| 9. | केरल (अलापुझा) | कायमकुलम | नाफ्था | 360 |
| 10. | मध्य प्रदेश (सिंगरौली) | विंध्याचल | कोयला | 4760 |
| 11. | महाराष्ट्र (नागपुर) | मौदा | कोयला | 1660 |
| 12. | महाराष्ट्र (सोलापुर) | सोलापुर | कोयला | 660 |
| 13. | ओडिशा (अंगुल) | तालचर-कनीहा | कोयला | 3000 |
| 14. | ओडिशा (अंगुल) | तालचर-थर्मल | कोयला | 460 |
| 15. | राजस्थान (बारन) | अंता | गैस | 419 |
| 16. | तेलंगाना (करीमनगर) | रामागुंडम | कोयला | 2600 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|----------|-------|------|
| 17. | उत्तर प्रदेश (अंबेडकर नगर) | टांडा-I | कोयला | 440 |
| 18. | उत्तर प्रदेश (औरैया) | औरैया | गैस | 663 |
| 19. | उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर) | दादरी | कोयला | 1820 |
| 20. | उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर) | दादरी | गैस | 830 |
| 21. | उत्तर प्रदेश (रायबरेली) | ऊंचाहार | कोयला | 1050 |
| 22. | उत्तर प्रदेश (सोनभद्र) | रिहंद | कोयला | 3000 |
| 23. | उत्तर प्रदेश (सोनभद्र) | सिंगरौली | कोयला | 2000 |
| 24. | पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद) | फरक्का | कोयला | 2100 |

ग) एनटीपीसी स्वामित्व वाली जल विद्युत परियोजनाएं

| | | | |
|----|--------------------------|--------|-----|
| 1. | हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर) | कोलडैम | 800 |
|----|--------------------------|--------|-----|

घ) एनटीपीसी स्वामित्व वाली नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं

| क्रम सं. | राज्य (जिला) | परियोजना | नवीकरणीय स्रोत | क्षमता (मेगावाट) |
|----------|------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 1. | आंध्र प्रदेश (अनंतपुराम्) | अनंतपुराम् | सौर | 250 |
| 2. | गुजरात (राजकोट, अमरेली) | रोजमल | पवन | 50 |
| 3. | हरियाणा (फरीदाबाद) | फरीदाबाद | सौर | 5 |
| 4. | मध्य प्रदेश (मंदसौर) | मंदसौर | सौर | 250 |
| 5. | मध्य प्रदेश (राजगढ़) | राजगढ़ | सौर | 50 |
| 6. | ओडिशा (अंगुल) | तालचर | सौर | 10 |
| 7. | राजस्थान (जोधपुर) | भदला | सौर | 260 |
| 8. | तेलंगाना (करीमनगर) | रामागुंडम | सौर | 10 |
| 9. | उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर) | दादरी | सौर | 5 |
| 10. | उत्तर प्रदेश (रायबरेली) | ऊंचाहार | सौर | 10 |
| 11. | उत्तर प्रदेश (सोनभद्र) | सिंगरौली | लघु जल विद्युत | 8 |
| 12. | उत्तर प्रदेश (सोनभद्र) | सिंगरौली | सौर | 15 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4428

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की कमी

4428. श्री शेर सिंह गुबाया:

श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के विद्युत संयंत्र कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या बदरपुर, भटिंडा और पनकी में विद्युत संयंत्र कोयले की कमी के कारण बंद कर दिए गए हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कब तक सुधार आने की संभावना है; और
- (घ) इन विद्युत संयंत्रों को कोयले की अनुपलब्धता के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : सरकार द्वारा किए गए कई उपायों से विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता में सुधार हुआ है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले की कुल स्टॉक स्थिति 19.10.2017 की स्थिति के अनुसार 7.3 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर दिनांक 18.03.2018 की स्थिति के अनुसार 15.7 एमटी, जो 10 दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, हो गया है।

(ख) से (घ) : जी नहीं। बदरपुर, बठिंडा और पंकी स्थित विद्युत संयंत्र कोयले की कमी को छोड़कर अन्य कारणों की वजह से विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4429

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम का उल्लंघन

4429. श्रीमती रमा देवी:

श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार विद्युत अधिनियम/राज्य अधिनियमों, विनियमनों और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के संदर्भ में लाइसेन्स के नियम और शर्तों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए किसी पर भी मुकदमा चला सकती है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाली निजी विद्युत वितरण कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उनके विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उन मामलों की आज की तारीख में कंपनी-वार स्थिति क्या है;
- (घ) क्या उक्त कंपनियों द्वारा उक्त नियमों के उल्लंघन के बावजूद निजी कंपनियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के प्रावधान के अनुसार, जो कोई विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश/निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।

(ख) से (ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है, विद्युत का वितरण एक लाइसेंसी कार्य है। वितरण लाइसेंस संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा जारी किए जाते हैं और विद्युत अधिनियम, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व उनका होता है। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किसी उल्लंघन के संबंध में सूचना राज्य सरकारों तथा विनियामकों के पास उपलब्ध होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4455

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

सभी के लिए बिजली

4455. श्री आलोक संजर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी को बिजली प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बिजली उत्पादन के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया सका है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तय लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है तथा विद्युत का वितरण और संबद्ध कार्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने सभी आवासों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। 01.04.2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) आदि सहित विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ग) से (ङ) : विगत 3 वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों और हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विगत 3 वर्षों के दौरान उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धि (बिलियन यूनिट में)

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | उपलब्धि (प्रतिशत में) |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|
| 2014-15 | 1023.000 | 1048.673 | 102.50 |
| 2015-16 | 1137.500 | 1107.822 | 97.39 |
| 2016-17 | 1178.000 | 1160.141 | 98.48 |
| 2017-18 (फरवरी, 2018 तक) | 1123.565 | 1100.113 | 97.91 |

विगत 3 वर्षों (2014-15 से 2016-17) के दौरान, विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए 83,009 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है जिसमें परंपरागत स्रोतों से 60,753 मेगावाट तथा नवीकरणीय स्रोतों से 22,256 मेगावाट शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4473

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत एक प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार

4473. श्री प्रसून बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत के अधिकार को एक प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) 24 घंटे विद्युत प्रदान करने में विफल रहने वाली विद्युत कंपनियों के लिए किए गए प्रस्तावित दंडिक प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): केंद्र सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को पर्याप्त तथा अबाधित विद्युत की आपूर्ति को सुगम बनाना है। विद्युत अधिनियम के लिए संशोधन, जो विचाराधीन है, में भारत सरकार ने अनावश्यक लोड शेडिंग के मामले में कड़े दंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, तकनीकी चूकों/ब्रेकडाउन अथवा प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में कोई दंड नहीं होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4484

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत की प्रति यूनिट लागत

4484. श्री अधीर रंजन चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश और विश्व में ऊर्जा के सभी स्रोतों से ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकसित देशों ने किसी परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करना बंद कर दिया है और यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) क्या भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ताओं हेतु एक सर्वाधिक वांछित स्थल माना जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर स्रोतों से वर्ष 2015-16 के लिए विद्युत की बिक्री की अखिल भारतीय भारित औसत दर (डब्ल्यूएआरएसपी) अनुबंध में दी गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का प्रापण प्रमुख रूप से प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए किया जाता है। विगत कुछ वर्षों के दौरान प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए पता लगाई गई कीमतें काफी घट गई हैं। भदला सोलर पार्क में सोलर के लिए हाल ही में पता लगाई गई न्यूनतम विद्युत टैरिफ 2.44 रुपए/किलोवाट घंटा था तथा अक्टूबर, 2017 माह में हुई हाल ही की नीलामी में पवन के लिए न्यूनतम टैरिफ 2.64 रुपए/किलोवाट घंटा था।

ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विभिन्न देशों में विद्युत की कीमत अधिकांशतः उनके उत्पादन मिश्र, ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता तथा उनके आंतरिक बाजार ढांचे पर निर्भर करती है। विश्व में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत की प्रति इकाई लागत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) : परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में 16 देशों में 449 रिएक्टर प्रचालनरत हैं तथा 56 रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। इनमें यूएई, बेलारूस तथा बांग्लादेश न्यूक्लियर विद्युत में प्रवेश करने वाले नए देश हैं।

(ग) : भारत को उन्नत न्यूक्लियर प्रौद्योगिकियों वाले देश के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके पास एक सुदृढ़ स्वदेशी न्यूक्लियर विद्युत कार्यक्रम है और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विदेशी सहयोग, दोनों के आधार पर विस्तार की योजना है। भारत के पास घरेलू न्यूक्लियर औद्योगिक आधार भी है। इसलिए भारत वैश्विक न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ताओं के लिए वांछित स्थल है क्योंकि भारतीय न्यूक्लियर उद्योग के साथ समन्वय पारस्परिक रूप से लाभदायक होगा।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4484 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्पादन के विभिन्न तरीकों/श्रेणी के लिए वर्ष 2015-16 हेतु विद्युत की बिक्री की भारित औसत दर
(डब्ल्यूआरएसपी)

| क्रम सं. | उत्पादन/श्रेणी का प्रकार | डब्ल्यूआरएसपी (पैसे/केडब्ल्यूएच) 2015-16 |
|----------|--------------------------|---|
| 1 | हाइड्रो | 291.03 |
| 2 | थर्मल | 340.39 |
| 3 | न्यूक्लियर | 272.60 |
| 4 | सभी श्रेणी | 332.99 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4494

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

रायबरेली में एनटीपीसी संयंत्र में दुर्घटना

4494. श्री जितेन्द्र चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायबरेली में एनटीपीसी ऊंचाहार संयंत्र में हुये विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कामगारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : रायबरेली में एनटीपीसी के ऊंचाहार विद्युत संयंत्र में हुई दुर्घटना में कुल 45 व्यक्ति मरे थे।

(ख) से (घ) : दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्य (थर्मल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राख का ढेर ऊंचा होने तथा राख के इस ढेर के बॉयलर में चले जाने के कारण तदनंतर ट्यूब का खराब होना दुर्घटना का एक कारण बताया गया है। रिपोर्ट की विद्युत मंत्रालय में जांच की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4496

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

अनावश्यक लोड शेडिंग

4496. श्री बी. विनोद कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत वितरक कंपनियों द्वारा अनावश्यक लोड शेडिंग के मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है जबकि विगत पांच वर्षों के दौरान कोई तकनीकी खराबी नहीं थी;
- (ख) क्या निकट भविष्य में उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं देने हेतु ऐसे लोड शेडिंग को रोकने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित वितरण लाइसेंसियों के अधिकार-क्षेत्र में आता है और प्रचालन के अपने क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध कराना वितरण लाइसेंसियों की जिम्मेदारी होती है। संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) यूटिलिटियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करते हैं और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के निष्पादन की निगरानी करने के लिए निष्पादन मानदंड भी अधिसूचित किए हैं।

डिस्कॉमों द्वारा लोड शेडिंग के ब्यौरे की निगरानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें 01 अप्रैल, 2019 से सभी के लिए 24X7 विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनकी सहायता करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4511

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता

4511. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री गौरव गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत वित्त निगम ने गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राज्यों और/या कुछ राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;
- (ख) यदि हां, तो विद्युत वित्त निगम द्वारा प्रत्येक राज्य या राज्य विद्युत बोर्ड को सशर्त, प्रदान की गई वित्तीय सहायता यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विद्युत उत्पादन और वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने विगत 3 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को वित्तीय सहायता के रूप में 1,77,212 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की है। इसका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। वित्तपोषण की शर्तें वित्तीय व्यवहार्यता और पात्रता मानदंडों पर निर्भर करती हैं।

(ग) : विगत 3 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य-क्षेत्र यूटिलिटीयों को पीएफसी वित्तपोषण द्वारा समर्थित सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) में पारेषण लाइनें, उप-केंद्रों में मेगावोल्ट एम्पियर (एमवीए) के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और मेगावाट (एमडब्ल्यू) में उत्पादन क्षमता का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4511 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएफसी द्वारा राज्य क्षेत्र की यूटिलिटियों को संस्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा

| क्रम सं. | राज्य का नाम | रुपए करोड़ में |
|----------|----------------|--|
| | | संस्वीकृत राशि (01.04.2014 से 31.12.2017) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 16,173 |
| 2 | बिहार | 2,713 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 4,632 |
| 4 | दिल्ली | 700 |
| 5 | गुजरात | 13 |
| 6 | हरियाणा | 2,465 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 778 |
| 8 | जम्मू व कश्मीर | 200 |
| 9 | कर्नाटक | 2,035 |
| 10 | केरल | 1,393 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 6,163 |
| 12 | महाराष्ट्र | 8,291 |
| 13 | मेघालय | 935 |
| 14 | पुडुचेरी | 28 |
| 15 | पंजाब | 7,648 |
| 16 | राजस्थान | 26,034 |
| 17 | सिक्किम | 1,856 |
| 18 | तमिलनाडु | 37,598 |
| 19 | तेलंगाना | 18,308 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 31,162 |
| 21 | उत्तराखंड | 1,216 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 6,871 |
| | कुल | 1,77,212 |

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4511 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना सुदृढीकरण के लिए राज्य क्षेत्र यूटिलिटियों को पीएफसी वित्तपोषण द्वारा समर्थित पारेषण लाइनों (सीकेएम), सब-स्टेशन (एमवीए) और उत्पादन क्षमता (मेगावाट) का राज्य-वार ब्यौरा

| | राज्य | एमवीए | सीकेएम | मेगावाट |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,626 | 220 | 3,005 |
| 2 | बिहार | 5,871 | 20,977 | 1,000 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 7,716 | 26,714 | 1,000 |
| 4 | हरियाणा | 2,942 | 13,260 | 800 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 320 | 7 | 100 |
| 6 | झारखंड | - | - | 1,000 |
| 7 | कर्नाटक | 107 | 3,748 | - |
| 8 | मध्य प्रदेश | - | 10,018 | - |
| 9 | महाराष्ट्र | 4,979 | 706 | - |
| 10 | मेघालय | - | - | 166 |
| 11 | पंजाब | 623 | 20 | - |
| 12 | पुडुचेरी | 50 | - | - |
| 13 | राजस्थान | 2,843 | 10,555 | 120 |
| 14 | सिक्किम | - | 24 | - |
| 15 | तमिलनाडु | 8,626 | 2,999 | 5,120 |
| 16 | त्रिपुरा | - | 656 | - |
| 17 | तेलंगाना | 11,123 | 2,327 | 1,880 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 17,256 | 64,128 | 5,280 |
| 19 | उत्तराखंड | 1,055 | 249 | 100 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 1,030 | 422 | 1,660 |
| | कुल | 66,167 | 157,030 | 21,231 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4516

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत का उत्पादन और बिक्री मूल्य

4516. श्री पी. आर. सुन्दरमः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री राजीव सातवः

श्री धनंजय महाडीकः

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन की लागत और उपभोक्ताओं को इसके अधिकतम बिक्री मूल्य के बीच भारी अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन की अनुमानित औसत लागत कितनी रही है और उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई विद्युत का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना रहा है;

(घ) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विनियमित दरों पर बिजली नहीं बेचने वाले विद्युत उत्पादकों को गैस की आपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत 3 वर्षों को दौरान औसत विद्युत उत्पादन लागत और वितरण कंपनियों की औसत आपूर्ति लागत निम्नानुसार है:

| | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|--|---------|---------|---------|
| औसत उत्पादन लागत (रुपये/केडब्ल्यू एच) | 3.45 | 3.67 | 4.43 |
| वितरण कंपनियों की औसत आपूर्ति लागत (रुपये/केडब्ल्यूएच) | 5.19 | 5.21 | 5.43 |

अंतिम उपभोक्ता को आपूर्ति की लागत में उत्पादन प्रशुल्क के अलावा पारेषण प्रभार, पारेषण हानि, वितरण नेटवर्क प्रभार, वितरण हानियां और वाणिज्यिक हानियां आदि शामिल होती हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई विद्युत का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष | अधिकतम मूल्य (रुपये/केडब्ल्यूएच) | न्यूनतम मूल्य (रुपये/केडब्ल्यूएच) |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2013-14 | 6.26 | 2.75 |
| 2014-15 | 7.19 | 1.90 |
| 2015-16 | 7.09 | 1.97 |

उपयुक्त नीति ढांचे और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार उत्पादन, पारेषण और वितरण में दक्षता को बढ़ावा दे रही है और तकनीकी हानियों को कम करने के लिए वितरण और पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण में सहायता भी कर रही है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रशुल्क का पता लगाने के नीति ढांचे के साथ ये उपाय प्रशुल्क दर कम करने में योगदान करेंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति भी डिस्कॉमों की प्रचालन लागतों को कम करने के लिए समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों एवं चोरी कम करने पर बल देती है।

(घ) और (ङ) : घरेलू प्राकृतिक गैस मौजूदा गैस आवंटन नीति के अनुसार आवंटित की जाती है और उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए आपूर्ति की जाती है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत और गैस आधारित संयंत्रों द्वारा भी किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4526

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

4526. श्री हरि मांझी:

श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि आज की तारीख के अनुसार अनेक गाँवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा नहीं किया गया है और यदि हां, तो झारखंड के चतरा, लाटेहार और पलामू जिलों सहित ऐसे गाँवों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;
- (ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है;
- (ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सभी गाँवों का विद्युतीकरण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य के कब तक हासिल किए जाने की संभावना है; और
- (ङ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने शहरों/ कस्बों और गाँवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 को देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे। 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार शेष गैर-विद्युतीकृत गाँवों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों को 01.05.2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

इसी प्रकार, झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चतरा, लातेहार तथा पलामू जिले सहित राज्य में 2,525 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे, इनमें से कोई भी गाँव विद्युतीकरण के लिए शेष नहीं है।

विगत 2 वर्षों के दौरान संपूर्ण देश में विद्युतीकृत गाँवों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(ङ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें शहर/नगर शामिल हैं, में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के जरिए केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके तथा सीपीएसयू के इन संयंत्रों से राज्यों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 18 राज्यों में ग्रामीण आवासों के लिए दिन में 20 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति की जाती है।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4526 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

28.02.2018 की स्थिति के अनुसार शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा
(01.04.2015 को राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार 18452 गैर-विद्युतीकृत गांवों में से)

| क्रम सं. | राज्य | जिला | गैर-विद्युतीकृत गांव |
|--------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | अंजॉ | 21 |
| | | चंगलांग | 11 |
| | | दिबांग वैली | 26 |
| | | ईस्ट कामेंग | 97 |
| | | ईस्ट सियांग | 4 |
| | | कुरुंग कुमे | 146 |
| | | लोहित | 2 |
| | | लोअर दिबांग वैली | 93 |
| | | लोअर सुबानसिरी | 96 |
| | | पपुम पारे | 37 |
| | | तवांग | 2 |
| | | तिराप | 5 |
| | | अपर सियांग | 12 |
| | | अपर सुबानसिरी | 82 |
| | | वेस्ट कामेंग | 2 |
| वेस्ट सियांग | 35 | | |
| 2 | छत्तीसगढ़ | बीजापुर | 23 |
| | | दंतेवाड़ा | 4 |
| | | नारायणपुर | 1 |
| | | सुकमा | 67 |
| 3 | जम्मू व कश्मीर | बांदीपोर | 11 |
| | | कारगिल | 8 |
| | | किश्तवाड़ | 41 |
| | | कुपवाड़ा | 11 |
| | | लेह (लद्दाख) | 10 |
| | | राजौरी | 1 |
| | | रियासी | 4 |
| 4 | मध्य प्रदेश | दामीह | 8 |
| | | कटनी | 4 |
| | | सागर | 2 |
| | | उमरिया | 7 |
| 5 | मणिपुर | चंदेल | 2 |
| | | चुराचांदपुर | 1 |
| | | ताम्रेंगलॉंग | 1 |
| 6 | मिजोरम | लॉंगथाई | 1 |
| | | ममित | 1 |
| 7 | ओडिशा | गाजापटी | 1 |
| | | कांधामल | 1 |
| | | मलकानगिरी | 2 |
| | | रायगाड़ा | 3 |
| 8 | उत्तराखंड | पिथौरागढ़ | 3 |
| | | टिहरी गढ़वाल | 1 |
| | | उत्तरकाशी | 18 |
| कुल | | | 908 |

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4526 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

| क्रम सं. | राज्य | 2015-16 | 2016-17 |
|----------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 174 | 175 |
| 2 | असम | 942 | 1,218 |
| 3 | बिहार | 1,754 | 556 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 405 | 294 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 27 |
| 6 | जम्मू व कश्मीर | 27 | 5 |
| 7 | झारखंड | 750 | 1,104 |
| 8 | कर्नाटक | - | 14 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 214 | 159 |
| 10 | मणिपुर | 75 | 121 |
| 11 | मेघालय | 1 | 681 |
| 12 | मिजोरम | 16 | 24 |
| 13 | नागालैंड | - | 76 |
| 14 | ओडिशा | 1,264 | 1,092 |
| 15 | राजस्थान | 163 | 263 |
| 16 | त्रिपुरा | 9 | 17 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 1,305 | 162 |
| 18 | उत्तराखंड | - | 18 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 8 | 9 |
| | कुल | 7,108 | 6,015 |

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4568

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत चालित वाहनों में परिवर्तन

4568. श्री मलयाद्री श्रीराम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक विद्युत चालित वाहनों में पूर्ण परिवर्तन को सुकर बनाने विशेषकर ऐसी (अलटरनेट करंट), डी. सी. (डायरेक्ट करंट) विद्युत चालित वाहन चार्जिंग, आधारभूत संरचना और बैटरियों की प्रयोगावधि समाप्त होने पर उनके उपयुक्त शोधन और निपटारे की प्रणाली के संबंध में किए गए उपार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का बस और आटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के पूरे बेड़े को विद्युत बेड़े में बदलने का विचार है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या डीसी चार्जिंग एक विद्युत चालित वाहन को 45 से 60 मिनट में पूरी तरह चार्ज कर देता है और एसी चार्जिंग 6 से 7 घंटे लेता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के मुद्दों का समाधान करने तथा रोड-मैप तैयार करने के लिए निम्नलिखित समितियां गठित की हैं:

1. इलैक्ट्रिक व्हीकलों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के तकनीकी पहलुओं संबंधी समिति।
2. नीति, आयोजना तथा विनियामक/प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों संबंधी समिति।

(ख) और (ग) : जी नहीं।

(घ) और (ङ) : एसी/डीसी चार्जर का चार्जिंग समय इलैक्ट्रिक व्हीकल में बैट्री की क्षमता एवं प्रकार तथा चार्जर की क्षमता पर निर्भर करता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4570

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

बिजली के कनेक्शन

4570. श्री पंकज चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का चार करोड़ विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए 16000 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कार्य को राज्य सरकारों के माध्यम से कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस कार्य को राज्य सरकारों के माध्यम से करने के परिणामस्वरूप योजना के क्रियान्वयन की गति धीमी होने की संभावना है; और
- (घ) यदि हां, तो क्या सरकार का समय पर घरेलू कनेक्शन प्रदान करने और निधियों को उपयुक्त रूप से उपयोग करने के लिए उक्त कार्य को स्वयं के पर्यवेक्षण में कराने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से सितंबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

सौभाग्य के अंतर्गत, घरों का विद्युतीकरण जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, टर्न-की अथवा आंशिक टर्न-की अथवा विभागीय आधार पर संबंधित राज्यों/डिस्कॉमों/विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है।

इस स्कीम के अंतर्गत, शेष गैर-विद्युतीकृत घरों का 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है। उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र है। गैर-विद्युतीकृत घरों की प्रगति की निगरानी के लिए वेब आधारित निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और सूचना पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, घरों के विद्युतीकरण कार्यों को समय पर पूरा करने पर राज्यों के लिए परियोजना लागत का 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4583

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

सभी योजनाओं हेतु विद्युत

4583. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की 'पावर फॉर ऑल' योजना मार्च 2019 तक सभी परिवारों और उद्योगों को नियमित और अबाधित विद्युत आपूर्ति का वादा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक किस सीमा तक यह प्राप्त हो पाया है;

(ग) क्या देश आगामी कुछ वर्षों के दौरान ऊर्जा की मांग की भारी वृद्धि का सामना करने वाला है जो कि विद्युत की उच्चतर मांग में परिवर्तित होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) देश विद्युत क्षेत्र की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए किस हद तक सक्षम है और इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या देश में विद्युत क्षेत्र में हाल ही में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुधारों के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकार/डिस्कॉम/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, निरंतर विद्युत की आपूर्ति को सक्षम बनाने के संबंध में भारत सरकार ने सभी के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए 24X7 विद्युत के लिए दस्तावेज हस्ताक्षरित किया गया है।

भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य को हासिल करने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसे स्कीमों से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ग) : राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम विद्युत मांग (यूटिलिटियां) नीचे दी गई है:

| वर्ष | विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (बीयू) | व्यस्ततम विद्युत मांग |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | गीगावाट में |
| 2017-18 (वास्तविक) | 1100 | 164 |
| 2018-19 | 1318 | 188 |
| 2019-20 | 1400 | 201 |
| 2020-21 | 1483 | 213 |
| 2021-22 | 1566 | 226 |

(घ) : परंपरागत क्षमता, जिसमें 48 गीगावाट थर्मल, 6.8 गीगावाट जल विद्युत और 3.3 गीगावाट न्यूक्लियर शामिल हैं, निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 2017-22 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होने की संभावना है। भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 175 गीगावाट की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपलब्ध होने वाली इस अतिरिक्त क्षमता पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि 2018-22 की अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन होगा।

(ङ) : विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई पहलें अनुबंध में दी गई हैं।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4583 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (ii) केंद्र सरकार ने 28.01.2016 को सभी के लिए विद्युत सुनिश्चित करने, सस्ते प्रशुल्कों को सुनिश्चित करने की दक्षता, एक स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरण, निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करके व्यावसाय करने में सुविधा के उद्देश्य से संशोधित टैरिफ नीति अधिसूचित की।
- (iii) डिस्कॉमों द्वारा विद्युत की खरीद में एकरूपता और पारदर्शिता लाने और विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लघु अवधि और मध्यम अवधि की खरीद आवश्यकताओं और आईपीपी स्टेशनों में कोयले के उपयोग में लचीलेपन का प्रयोग करने के लिए ई-बोली के लिए 12 अप्रैल, 2016 को "दीप (डिस्कवरी ऑफ एफिसिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस)" नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है।
- (iv) सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2016 को विद्युत की कीमत निर्धारण और उपलब्धता को दर्शाने के लिए एक मोबाइल ऐप "विद्युत प्रवाह" शुरू किया है। यह ऐप्लिकेशन देश में वास्तविक समय आधार पर विद्युत की उपलब्धता को परिलक्षित करता है। यह ऐप राज्यों से 24x7 विद्युत की मांग हेतु जनसाधारण को सशक्त बनाएगा और राज्य सरकारों को ज्यादा जवाबदेही बनाने के लिए अगले स्तर को पारदर्शी बनाएगा।
- (v) 23 जून, 2018 को वेब पोर्टल का विकास और मोबाइल ऐप्लिकेशन नामतः 'मेरिट' (मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवेनेशन ऑफ इन्कम एंड ट्रांसपेरेंसी) का विकास, जो राज्यों द्वारा खरीद की गई विद्युत के मेरिट ऑर्डर के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करता है।
- (vi) सरकार ने 04 मई, 2016 को "विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन" अधिसूचित किया है। राज्य, अपने स्वयं के विद्युत केंद्रों से उत्पादन लागत की तुलना किसी अन्य दक्ष उत्पादन केंद्रों से, जहाँ लागत कम हो, समतुल्य विद्युत लेकर अपने कोयले का उपयोग कर सकते हैं।
- (vii) दिनांक 03 अगस्त, 2017 के संकल्प के माध्यम से ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी पावर परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- (viii) दिनांक 08 दिसंबर, 2017 के संकल्प के माध्यम से ग्रिड से जुड़ी पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4594

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों के लिए जल की कमी

4594. श्री वी. एलुमलाई:

श्री जोस के. मणि:

श्री रामचरित्र निषाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि देश के ताप विद्युत संयंत्र, जिनमें से 90 प्रतिशत संयंत्र शीतलन हेतु ताजे जल पर निर्भर हैं, जल की कमी के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2013 और 2016 के बीच देश की बीस सबसे बड़ी ताप विद्युत कंपनियों में से चौदह को जल की कमी के कारण एक या अधिक बार बंद करना पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि इसके कारण विद्युत उत्पादकों को विद्युत की बिक्री से 91 बिलियन रुपए के संभावित राजस्व का घाटा सहना पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या भारत की ताप विद्युत क्षेत्र के विस्तार और अन्य क्षेत्रों से जल की मांग में वृद्धि के साथ ही जल संकट और गंभीर होने वाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या वर्ष 2030 तक देश के 70 प्रतिशत ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कृषि, उद्योग और नगर निगमों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (च) क्या सरकार ने हाल ही में ताप विद्युत संयंत्रों में विशिष्ट जल उपभोग हेतु सीमाएं तय की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या सरकार की योजना देशभर में जल संरक्षण और जल दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु कोई नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी नहीं। स्टेशनों द्वारा चालू वर्ष में फरवरी, 2018 तक रिपोर्ट की गई पानी की कमी के कारण बंदी से कुल हानियां 3400 मिलियन यूनिट (एमयू) है, जो इस अवधि के दौरान कोयला/लिग्नाइट आधारित कुल उत्पादन का लगभग 0.38% है।

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के दौरान ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा रिपोर्ट की गई पानी की कमी के कारण हानियां इस प्रकार हैं:

| क्रम सं. | वर्ष | हानियां, एमयू में |
|----------|---------|-------------------|
| 1. | 2013-14 | 4375.8 |

| | | |
|----|---------|--------|
| 2. | 2014-15 | 1155.9 |
| 3. | 2015-16 | 995 |
| 4. | 2016-17 | 9565.2 |

विगत चार वर्षों से पानी की कमी के कारण ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों के बंद का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) : इस संबंध में सूचना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि पानी की कमी के कारण यदि संयंत्र उपलब्धता निर्देशात्मक मानकों से कम होती है, तो किसी ताप विद्युत संयंत्र की बंदी से व्यवहार्य प्रभार के साथ-साथ नियत प्रभार से संबंधित राजस्व की हानि होगी।

(घ) और (ङ) : सिंचाई, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के नवंबर, 2014 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने वर्ष 2010 में सभी प्रकार के उपयोगों के लिए कुल निकासी/उपयोग में से विद्युत विकास में मात्र 3% पानी के उपयोग का आकलन किया था।

सरकार ने समग्र विद्युत क्षेत्र में जल संरक्षण, जल दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- I. **ऐश वाटर सर्कुलेशन सिस्टम:** इस प्रणाली में ऐश पॉण्ड से पानी निकाला जाता है तथा पुनः उपयोग में लाया जाता है।
- II. **ड्राई फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम एवं हाई कंसन्ट्रेशन स्लरी डिस्पोजल सिस्टम (एचसीएसडी):** ये ऐश हैंडलिंग प्रौद्योगिकियां ऐश हैंडलिंग के लिए पानी की आवश्यकता में कमी लाती हैं जिससे पानी की खपत कम होती है।
- III. **जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम-** संयंत्र में उत्पादित कुल अवशेष पानी को शोधित करने तथा उसे खपतकारी जल प्रणाली में पुनः उपयोग करने से पानी की खपत में कमी आती है।
- IV. **हायर साइकिल ऑफ कंसन्ट्रेशन (सीओसी) में कूलिंग टावरों का प्रचालन।** इससे संयंत्र में उत्पादित अवशेष पानी में कमी आती है। इस उत्पादित अवशेष पानी का उपयोग ऐश हैंडलिंग, कोयला धूल को दबाने तथा बागवानी इत्यादि जैसे निम्न कोटि के कार्यों में किया जाता है।
- V. **अधिकांश अंतर देशीय ताप विद्युत संयंत्र पानी की आवश्यकता कम करने के लिए प्रचालन में पानी को पुनःसंचारित करने के लिए कूलिंग टावर सहित क्लोज्ड साइकिल कूलिंग वाटर सिस्टम तथा सीओसी के उच्च स्तर का उपयोग करते हैं।**

(च) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 7 दिसंबर, 2015 को वर्तमान तथा भावी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पानी खपत सीमा से संबंधित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 अधिसूचित किए हैं:

- (i) वन्स-थ्रू-कूलिंग (ओटीसी) वाले सभी संयंत्र कूलिंग टावर (सीटी) संस्थापित करेंगे तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर अधिकतम 3.5 एम³/मेगावाट घंटा तक का विशिष्ट पानी खपत लक्ष्य हासिल करेंगे।
- (ii) सभी वर्तमान कूलिंग टावर आधारित संयंत्रों द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम 3.5 एम³/मेगावाट घंटा तक की विशिष्ट जल खपत कम करना।
- (iii) 1 जनवरी, 2017 के बाद संस्थापित किए जाने वाले नए संयंत्रों को अधिकतम 2.5 एम³/मेगावाट घंटा तक की विशिष्ट जल खपत तथा शून्य अवशेष जल खपत हासिल करनी होगी।

(छ) : टैरिफ नीति, 2016 में उन ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जो 50 किमी की परिधि में स्थित हैं, नगर-निगम/स्थानीय निकायों के सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) से शोधित सीवेज पानी का उपयोग करना अनिवार्य है। सभी ताप विद्युत संयंत्रों को, जहां संभव हो, कूलिंग प्रयोजन के लिए एसटीपी पानी का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

लोक सभा में दिनांक 22.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4594 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले चार वर्षों की जल की कमी के कारण ताप उत्पादन संयंत्रों के बहिःस्राव का ब्यौरा

| संगठन | स्टेशन | 2013-14 में हानि (एमयू में) | 2014-15 में हानि (एमयू में) | 2015-16 में हानि (एमयू में) | 2016-17 में हानि (एमयू में) |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| महार्जेको | पारली टीपीएस | 3889.6 | 1032.8 | 0.0 | 3931.5 |
| आरआरवीयूएनएल | गिरल टीपीएस | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| एपीएल | तिरौरा टीपीएस | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 2375.1 |
| यूपीआरवीयूएनएल | हुरदुआगंज टीपीएस | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| एसईएल | स्टरलाईट टीपीपी | 292.9 | 0.0 | 0.0 | 1122.3 |
| एमपीपीजीसीएल | सतपुड़ा टीपीएस | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| टीएनजीडीसीएल | नॉर्थ चेन्नई टीपीएस | 22.2 | 20.9 | 0.0 | 16.2 |
| बीईपीएल | उतरौला टीपीएस | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| ईपीजीएल | सलाया टीपीपी | 0.0 | 6.1 | 100.8 | 50.9 |
| एनटीपीसी लि. | रिहंद एसटीपीएस | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 |
| एससीपीएल | रतीजा टीपीएस | 0.0 | 4.1 | | 46.5 |
| एनटीपीसी लि. | बाढ़-II | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.0 |
| एसीबी | कसाईपल्ली टीपीपी | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 |
| केपीसीएल | रायचूर टीपीएस | 0.0 | 0.0 | 130.5 | 0.0 |
| जीएसईसीएल | सिक्का रिप. टीपीएस | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| एनटीपीएल | तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| यूपीसीएल | उडुपी टीपीपी | 0.0 | 0.0 | 672.2 | 0.0 |
| एचएनपीसी | विजाग टीपीपी | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 0.0 |
| केपीसीएल | बेल्लारी टीपीएस | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 |
| एनटीपीसी लि. | फरक्का एसटीपीएस | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.8 |
| जीएमआर एनर्जी | जीएमआर वरौरा टीपीएस | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 611.0 |
| एसवीपीपीएल | एसवीपीपीएल टीपीपी | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
| टीएसपीएल | तलवंडी साबो टीपीपी | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 666.3 |
| टीएनजीडीएल | तूतीकोरिन टीपीएस | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 269.0 |
| सकल योग | | 4375.8 | 1155.9 | 995.0 | 9565.2 |
